उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1431/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.245-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(307)-2023

लखनऊः दिनांकः 06 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची एक में-2.5%,-

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मोलासेस";

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"96क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न अन्तर्विष्ट हो, और प्री-पैकेज्ड तथा लेबल किए गए हो";

(ख) अनुसूची तीन में-9%,-

(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द और अंक "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे" के स्थान पर शब्द और अंक "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए

आटे से भिन्न; श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न अन्तर्विष्ट हो एवं प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो, रख दिये जायेंगे।

(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"25क	2207 10 12	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

(ग) अनुसूची चार में-14%, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

6/x1/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव